

पृ० संख्या: पर(एपी-बी)बी(18)-1/2008 तारीख शिमला-2, 4 जनवरी, 2007
प्रतिलिपि प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
2. निजी सचिव, मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
5. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
6. समस्त प्रबन्ध निदेशक/पंजीयक/सचिव बोर्ड/निगम/विश्वविद्यालय/पब्लिक सेंटर अंडरटेकिंग्स/स्वायत्त निकाएं/आयोग तथा प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ।
7. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2
8. सचिव, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर-177 001.
9. नियन्त्रक (मुद्रण व लेखन) हिमाचल प्रदेश, असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु एवं उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन के उपरान्त राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाएं ।
10. अतिरिक्त प्रतियाँ-30.

Brijmohan
अवर सचिव(कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English text of this Department Notification No.Per(AP-B)B(18)-1/2006 dated 04-01-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (Appointment-II)

No.Per(AP-B)B(18)-1/2006 Dated Shimla-2, the 04.01.2007

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Civil Services (Premature Retirement) Rules, 1976, namely:-

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Civil Services (Premature Retirement) (Fifth-Amendment) Rules, 2007.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Insertion of 2. third proviso to sub rule (2) of rule 3

In the Himachal Pradesh Civil Services (Premature Retirement) Rules, 1976, after second proviso to sub rule (2) of rule 3, the following third proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that Medical officer (General Wing), Medical Officer (Dental), Block Medical Officer, Chief Medical Officer/ Medical Superintendent/ Principal (Training), Members of the Himachal Pradesh Medical Education Service and Himachal Pradesh Medical Education (Dental) Service seeking retirement under this rule shall retire from service only after completion of minimum 30 years of service or 55 years of age, after such

contd.. 2 ..

F.B.M.

Incharge, NIC,
HP Secretariat.

हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(नियुक्ति-11)

संख्या: पर(एपी-बी)बी(18)-1/2008 तारीख शिमला-2, 4 जनवरी, 2007

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसीज (प्रीमैथ्योर रिटायरमेंट) रूल्स, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसीज (प्रीमैथ्योर रिटायरमेंट) (पाठवा संशोधन) नियम, 2007 है।
- (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम 3 के उप नियम
(2) में तृतीय परन्तुक
का अन्तःस्थापन।

2. हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसीज (प्रीमैथ्योर रिटायरमेंट) रूल्स, 1976 के नियम 3 के उप नियम (2) के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित तृतीय परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"Provided further that Medical officer (General Wing), Medical Officer (Dental), Block Medical Officer, Chief Medical Officer/ Medical Superintendent/Principal (Training), Members of the Himachal Pradesh Medical Education Service and Himachal Pradesh Medical Education (Dental) Service seeking retirement under this rule shall retire from service only after completion of minimum 30 years of service or 55 years of age, after such notice of three months has been accepted by the competent authority."

आदेश द्वारा,

एस एस परमार
मुख्य सचिव,

हिमाचल प्रदेश सरकार ...2/..

18m

T/D(Asc)
9/05/07

NICHP State Unit Shimla
Diary No...359.....
Diary Date...5/3/07

पृ० संख्या: पर(एपी-डी)बी(18)-1/2006 तारीख शिमला-2, 4 जनवरी, 2007

प्रतिलिपि प्रेषित है-

1. प्रधान सचिव, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
5. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
6. समस्त प्रबन्ध निदेशक/पंजीयक/सचिव बोर्ड/निगम/विश्वविद्यालय/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स/स्वायत्त निकाए/आयोग तथा प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ।
7. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2.
8. सचिव, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर-177 001.
9. नियन्त्रक (मुद्रण व लेखन) हिमाचल प्रदेश, असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु एवं उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन के उपरान्त राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाएं ।
10. अतिरिक्त प्रतियाँ-30.

Brijmohan
अवर सचिव(कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार